न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 52/2022 (उदयपुर डिक्री)

भानसिंह पिता स्वर्गीय श्री भोपालसिंह राजपूत, निवासी ग्राम मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. किशनसिंह पिता श्री चेनसिंह राजपूत, निवासी ग्राम मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. छोटुसिंह पिता श्री चेनसिंह राजपूत, निवासी ग्राम मानखण्ड, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली
दिनांक 21.12.2021 प्र. सं. 34/2011

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री चुन्नीलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मानाराम डांगी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय　　　　दिनांक 27–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व उसकी माता श्रीमती धनकुंवर ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खरताणा, तहसील मावली में आराजी नंबर 1661 से 1671 कुल किता 11 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर इसी अनुसार काबिज हैं तथा मौके पर सुविधानुसार बंटवारा किया हुआ है, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं होने से बैंक से ऋण आदि लेने में असुविधा होती है। अतः वादीगण पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 3 तनकियात कायम की गयी तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण

की आपसी सहमति के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 10–06–2016 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् दिनांक 28–06–2018 को संशोधित डिक्री जारी की एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर 21–12–2021 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–07–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मानाराम डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। उक्त निर्णय व डिक्री अपीलान्ट के परोक्ष में जारी की गयी है। अपीलान्ट उक्त निर्णय से प्रभावित है। गलत ढंग से बंटवारा कियागया है, जिससे प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। अतः अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन कियइझं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 2 भोपालसिंह का पुत्र है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय में वह पक्षकार नहीं है। तद्नुसार न्यायहित में धारा 96 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के परोक्ष में निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 30–06–2022 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए तर्क बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:17 IST
Reason: SelfAttested

वाद के पक्षकार के अलावा अन्य व्यक्ति उदयलाल पिता धर्मा डांगी के मध्य बंटवारा नुमाईशी तौर पर किया गया है, जबकि मौके पर वाद के पक्षकारान से पृथक व्यक्ति के मध्य बंटवारा किया जाना संभव नहीं है तथा मृत व्यक्ति के वारिसान को रेकार्ड पर लिये बगैर डिक्री जारी करना न्याय संगत नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये उसके परोक्ष में अंतिम डिक्री प्राप्त कर ली, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय पक्षकारान के मध्य हिस्से व कब्जे अनुसार सहीं विभाजन करते हुए अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट को बराबर–बराबर रकबा दिया गया है। अपीलान्ट की यह आपत्ति कि उदयलाल पिता धर्मा वाद में पक्षकार नहीं था, फिर भी उसे हिस्से दिया गया है, किन्तु अपीलान्ट की यह आपत्ति उचित नहीं है, क्योंकि जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में उदयलाल पिता धर्मा का 1/6 हिस्सा दर्ज है एवं अंतिम डिक्री में उसे वही हिस्सा दिया गया है। अपीलान्ट का रकबा कम नहीं हुआ है, उसका विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा था, जो उसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है तथा स्वयं अपीलान्ट के पिता भोपालसिंह द्वारा अपने जवाबदावे में उनके 1/2 हिस्से अनुसार डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21–12–2021 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:17 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

भानसिंह पिता स्व. भोपालसिंह राजपूत, निवासी ग्राम मानखण्ड, तह0 मावली, जिला उदयपुर बनाम **किशनसिंह पिता चेनसिंह राजपूत, नि0 ग्राम मानखण्ड, तहसील मावली, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**52 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** .....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**21**.....माह.....**12**.....**2021**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**.....माह.....**09**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री चुन्नीलाल डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री मानाराम डांगी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–12–2021 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**09**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:55:17 IST
Reason: SelfAttested